

उत्तराखण्ड सार्वजनिक एवं नजी संपत्तिका विधायक

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश और हरियाणा द्वारा लाए गए संपत्तिका नुकसान की वसूली की तर्ज़ पर उत्तराखण्ड एक विधायक लाने की तैयारी में है।

मुख्य बिंदु:

- इस कानून के तहत वरिष्ठ प्रदर्शनों और हड़तालों के दौरान हुए सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी।
- एक सेवानवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक [न्यायाधिकरण](#) राज्य की शिकायत के बाद पहचाने गए आरोपियों के खिलाफ आरोपों की जाँच करेगा।
 - नुकसान की वसूली के लिये आकलन और आदेश सरकार तथा अन्यथा प्रभावित पक्षों के साथ वसित चर्चा के बाद ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किये जाएंगे।
- सार्वजनिक संपत्तिका हुए नुकसान की भरपाई के लिये विधायक लाने का फैसला उत्तराखण्ड के [हलद्वानी में हुई हिसा](#) के बाद आया।
- ज़िला प्रशासन और नागरिक निकाय द्वारा [अतिक्रमण बरिधी अभियान](#) में [नज़ूल \(सरकारी\) भूमि](#) पर बनी एक मस्जिद तथा मदरसे को ध्वस्त करने के बाद हिसा भड़क उठी।

अतिक्रमण

- यह किसी और की संपत्तिका अनधिकृत उपयोग अथवा कब्ज़ा करने से है।
- यह **परतियक्त या अपरयुक्त स्थानों पर हो सकता है** यदकानूनी मालिक इसके रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है।
- संपत्तिका स्वामियों को ऐसे मामलों से संबंधित विधिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना अत्यावश्यक है।
- इसमें उचित अनुमत अथवा कानूनी अधिकारों के बिना संपत्तिका अवैध निर्माण, कब्ज़ा अथवा किसी अन्य प्रकार का कब्ज़ा शामिल हो सकता है।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 441** में भूमि अतिक्रमण को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार किसी अन्य के कब्ज़े की संपत्तिका पर अपराध करने अथवा व्यक्ति को, जिसके कब्ज़े में ऐसी संपत्तिका है, भयभीत करने अथवा विधिविप्लव रूप से संपत्तिका में प्रवेश करने की अनुमतिका के बिना किसी और की संपत्तिका में अवैध रूप से प्रवेश करने का कार्य अतिक्रमण है।

नज़ूल भूमि

- नज़ूल भूमिका स्वामित्व सरकार के पास है लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्तिका रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है।
 - राज्य सामान्यतः ऐसी भूमिका किसी भी इकाई को **15 से 99 वर्ष** के बीच **एक निश्चित अवधि के लिये पट्टे** पर आवंटित करता है।
- यदपट्टे की अवधि समाप्त हो रही है, तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के **राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन** जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिये प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
- सरकार पट्टे को **नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने-** नज़ूल भूमिका वापस लेने के लिये स्वतंत्र है।
 - सरकार सामान्यतः नज़ूल भूमिका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे- स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन आदिका निर्माण के लिये करती है।

